न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारीः–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–84 / 2014   दायरा दिनांक 12.08.2014   GCMS CASE NO-2014/00124

शंकरदास पुत्र मोहनदास जाति स्वामी निवासी गांव रायांवाली तहसील सूरतगढ़

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. मघा राम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी गांव रायांवाली तहसील सूरतगढ़
2. सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़

–गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थितः–

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री बाबूलाल चाण्ड़क अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1
3. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता सं0 2

–:: निर्णय ::–   दिनांक : 28.01.2025

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरन पंचायत समिति सूरतगढ़ द्वारा निगरानीकर्ता शंकरदास के नाम से ग्राम रायांवाली में पैमूदा 90 गुणा 125 फीट का भूखण्ड़ का पट्टा संख्या 128 / 60 दिनांक 15.07.2008 को जारी किया गया था। उक्त पट्टे के विरूद्व गैरनिगरानीकर्ता मघाराम ने प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति के समक्ष अपील पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूखण्ड़ गैरनिरानीकर्ता मघाराम के कब्जा का है तथा उसका पट्टा पूर्व में ही मघाराम के नाम से बना हुआ है। उक्त अपील पर विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ ने बिना निगरानीकर्ता को सुने एकपक्षीय रूप से बैठक दिनांक 21.05.2013 में प्रस्ताव संख्या 7 मिसल संख्या 8 / 2012 द्वारा अपीलांट मघाराम की अपील स्वीकार कर आदेश / निर्णय पारित कर ग्राम पंचायत द्वारा जारी शंकरदास के नाम से जारी पट्टा संख्या 128 / 60 दिनांक 15.07.2008 निरस्त कर दिया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ ने एकपक्षीय आदेश पारित कर नैर्सिगिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है जिसका उसे अधिकार प्राप्त नहीं था। निगरानीकर्ता के पक्ष में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के वर्णित प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत दिये गये नियमों की पालना में मौके कब्जा की जांच कर ही जारी किया गया था। उक्त पट्टा का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक सूरतगढ़ में दिनांक 20.08.2008 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 373 पेज संख्या 59 क्रम संख्या 2008003059 पर पंजीकृत है जो कि वैद्य दस्तावेज है जिसके सही होने की विधिक उपधारणा निगरानीकर्ता के हक में है। उक्त पंजीबद्ध को निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा विकास अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त पट्टा निरस्त किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिनांक 22.08.2008 को जारी किया गया है जो कि निगरानीकर्ता के पक्ष में पट्टा दिनांक 15.07.2008 के बाद का है अगर [illegible] में पट्टा एक स्थान का जारी किया गया है तो भी निगरानीकर्ता का पट्टा प[illegible] के कारण अध्यारोही प्रभाव रखता है तथा गैरनिगरानीकर्ता के पट्टे का कोई [illegible]निक प्रभाव नही है। [illegible]कर्ता के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी [illegible]कर्ता के पक्ष में जारी [illegible] अलग स्थान के है तथा उसकी चतुर्दिक [illegible] भिन्न है। [illegible]तः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जावे एवं प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति सूरतगढ़ का जैर निगरानी आदेश निरस्त किया जाकर निगरानीकर्ता का पट्टा बहाल किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.05 13:31:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा उपस्थित हुए। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल चाण्डक, गैरनिगरानकर्ता संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मनचन्दा हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील निगरानीकर्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर निगरानी आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को ना तो कोई सम्मन जारी किया गया तथा ना ही सूचना दी गई। निगरानीकर्ता को सर्वप्रथम जुलाई सन 2014 के द्वितीय सप्ताह में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा कब्जा से बेदखल करने की धमकी देने से जानकारी हुई जिस पर बिना किसी विलम्ब के नकल इत्यादि प्राप्त कर जानकारी से 90 दिवस की अवधि में निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। निगरानीकर्ता द्वारा जानबूझ कर किसी तरह की कोई देरी नहीं की गई है। अतः निगरानी पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जावे तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र कथन किया कि निगरानीकर्ता को जैर निगरानी आदेश की पूर्णतः जानकारी थी। निगरानीकर्ता ने जानबूझ कर देरी से यह निगरानी पेश की है। प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण बताया है वह भी सन्तोषप्रद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जावे।

वकील गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ने दौराने बहस निवेदन किया कि निगरानी मियाद बाहर होने से प्रार्थना पत्र खारिज कर निगरानीन इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में निगरानीकर्ता के नाम से ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया हुआ है जिससे प्रकरण में निगरानीकर्ता के हित निहित है। जैर निगरानी आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को सुना भी नहीं गया है। निगरानीकर्ता ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण बताया है वह भी सन्तोषप्रद है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसी प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं पर ना करते हुए गुणावगुण पर करना हम उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि निगरानी मीमों ही मेरी बहस है।

वकील गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकर्ता शंकरदास द्वारा श्रीमान न्यायालय में उक्त अनवान की निगरानी प्रस्तुत करने से पूर्व एक वाद–पत्र संख्या– 10/2013 सिविल न्यायाधीश (व.ख.) सूरतगढ़ के समक्ष इसी प्रशनगत भूखण्ड के बाबत अप्रार्थी मघाराम के विरूद्व पेश किया गया था। जिस पर दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात दिंनाक 04/11/2019 को शंकरदास का वाद–पत्र खारीज कर दिया गया था। अप्रार्थी मघाराम द्वारा श्रीमान सिविल न्यायाधीश (व0ख0) सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत एक वाद संख्या– 4/2013 विरूद्व मोहनदास व अन्य पर दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात दिंनाक 04/11/2019 को मघाराम के द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र स्वीकार किया गया। तथा प्रतिवादीगण को इस आश्य के स्थाई व्यादेश से पाबन्द किया कि वे विवादित सम्पति भूखण्ड, में जबरन कब्जा न करें एंव इसमें वादी के कब्जे व निर्माण में हस्तक्षेप न करें। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश व डिकी आज भी प्रभावी है। उक्त निर्णय व डिकी किसी भी न्यायालय के द्वारा आज तक निरस्त नहीं की गई है। जब निगरानीकर्ता शंकरदास द्वारा निगरानी में दर्ज प्रश्नगत भूखण्ड के बाबत सक्षम न्यायालय में पूर्व में ही चाराजोही कर ली गई थी तथा अंतिम निर्णय भी शंकरदास के विरूद्ध पारित हो चुके है तो ऐसी स्थिती में कानूनन अब वह पुनः उसी प्रश्नगत भूखण्ड के बाबत श्रीमान न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष हासिल करने का हकदार नहीं है। निगरानीकर्ता की निगरानी खारीज योग्य है। निर्णित निर्णय एक बार किसी वाद का निर्णय हो चुकने के बाद उसी बिन्दु को पुनः लेखन में शब्द बदलकर पेश नहीं किया जा सकता। निगरानीकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर तक अथक प्रयास किए है। किन्तु उसे अपेक्षित निर्णय हासिल नहीं हुए है। अप्रार्थी मघाराम के द्वारा वर्तमान में प्रश्नगत भूखण्ड की बाबत एक

अतिरिक्त जिला कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.05 13:31:39 IST
Reason: SelfAttested

सिविल रिट पीटीशन संख्या– 20983/2024 अनवान मघाराम बनाम शंकरदास माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की हुई है जो जैरकार है। न्यायिक दृष्टिकोण से भी जब वादाधीन सम्पति के बाबत प्रकरण उच्चतर न्यायालयों में समानान्तर लम्बित हो तो अधिनस्थ न्यायालयों का जेरकार प्रकरण को स्थगित रखा जाना आवश्यक हो जाता है। निगरानीकर्ता की प्रस्तुत निगरानी विधिक प्रावधानों के विपरित एंव न्यायालय से सही तथ्य छिपाते हुए विधि–विरूद्व प्रस्तुत की हुई होने के कारण खारीज फरमाई जावे। बहस के पक्ष में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2006 1 पेज 226 की ओर ध्यान दिलाया।

वकील गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा कब्जा जांच कर एवं अन्य समस्त कार्यवाही पूर्ण कर नियमानुसार ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा बताये गये पट्टै का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में मौजूद नहीं है, जिससे मघाराम के नाम से जारी पूर्व पट्टा खारिज होना कहा जा सके।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी के नाम से ग्राम पंचायत राजपुरा पिपरेन ने पट्टा संख्या 60 बुक संख्या 128 पैमूदा 125 गुणा 90 वर्गफुट का दिनांक 15.07.2008 को मिसल संख्या 78/2007 तैयार करके जारी कया है। जो उपपंजीयक सूरतगढ़ से दिनांक 20.08.2008 को पंजीयन शुदा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विद्युत बिल व मौका की फोटो अनुसार उक्त प्लॉट पर प्रार्थी काबिज है तथा प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति सूरतगढ़ की बैठक दिनांक 21.05.2013 को प्रार्थी का पट्टा पैमूदा 90 गुणा 75 वर्गफुट मानकर प्रार्थी के पट्टै को खारिज कर दिया है। जबकि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 का पट्टा संख्या 79 दिनांक 22.08.2008 को जारी हुआ है। इससे साबित है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 का पट्टा बाद का पट्टा है व गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के नाम से बाद में जारी पट्टे के आधार पर निगरानीकर्ता का पूर्व में जारी पट्टा दिनांक 15.07.2008 को निरस्त कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 अनुसार पुराने काबिज व्यक्तियों को नियम 157 ख में विनियमितीकरण का प्रावधान है। ग्राम पंचायत ने निगरानीकर्ता के नाम से दिनांक 15.07.2008 को निगरानीकर्ता के काबिज स्थान का पट्टा जारी करने में कोई त्रुटि नहीं की है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति सूरतगढ़ ने पूर्णतया एक तरफा तौर पर दिनांक 21.05.2013 को निगरानीकर्ता का पट्टा कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर खारिज किया गया है जिसे निरस्त करना हम उचित समझते है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 08/2012 अनवान मघाराम बनाम शंकरदास में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2013 निरस्त किया जाता है तथा निगरानीकर्ता के नाम का पट्टा संख्या 60 दिनांक 15.07.2008 बहाल किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ एवं अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति सूरतगढ़ को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। प्रकरण में प्राप्त अभिलेख निर्णय की प्रति सहित संबधित को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.05 13:31:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner